इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2011—ज्येष्ठ 18, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(संशोधन)

क्रमांक एफ–23–06/2010/38–2 भोपाल दिनांक 06/06/2011

स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

नियम

प्रस्तावना एवं उद्देश्य– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यो, शिक्षकों, अध्ययनरत विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान को सराहे जाने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

1.2 ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्यो, शिक्षकों, विद्यार्थियों को इन नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं तय किए गए मापदण्डों जिन्हें आगे से स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़, स्मृति पुरस्कार (संशोधित) नियम कहा जाएगा के अनुसार प्रचलित होंगे। यह नियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों पर लागू होंगे और राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होंगे।

3. नियमों में संदर्भित–

3.1 प्राचार्य से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य

3.2 शिक्षक से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक

3.3 विद्यार्थी से तात्पर्य है शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी

4. सम्मान का स्वरुप– तय किए गए मापदण्डों के आधार पर पांच प्राचार्यो, पांच शिक्षकों एवं 20 विद्यार्थियों का चयन पुरस्कार के लिए किया जाएगा। इन्हें नगद पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

5. चयन हेतु मापदण्ड– प्राचार्यों, शिक्षकों, एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार के लिए चयन करने हेतु पृथक–पृथक मापदण्ड क्रमशः अनुलग्नक अ, ब तथा स के अनुसार होंगे।

6. चयन की प्रक्रिया– पुरस्कारों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी–

6.1 प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा माह जुलाई में प्रमुख प्रादेशिक समाचार–पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विचार के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।

6.2 निर्धारित मापदण्ड़ो के अनुसार–

6.2.1 प्राचार्य अपना आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को भेजेंगे। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक मापदण्डों के अनुरूप प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चार प्राचार्यों का पैनल तैयार करेंगे, और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से बीस प्राचार्यो के नाम प्राप्त होंगे जो कि कंडिका–7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी निर्णायक मंडल को पुरस्कार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

6.2.2 प्राचार्य गुणानुक्रम के आधार पर अपने महाविद्यालय से एक शिक्षक का चयन करेंगे और उसका आवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेंगे। महाविद्यालयों द्वारा मापदण्डों के आधार पर चुने गए शिक्षकों की सूची में से क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार से पांच शिक्षकों का पैनल पुनः गुणानुक्रम के आधार पर तैयार करेंगे और उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से पच्चीस शिक्षकों के नाम प्राप्त होंगे जो कि कंडिका–7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी निर्णायक मंडल को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

6.2.3 प्रत्येक महाविद्यालय कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय के लिए (जैसा महाविद्यालय के लिए लागू हो) गुणानुक्रम के आधार पर स्नातक स्तर पर एक विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एक विद्यार्थी का चयन कर उनके नाम क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्रेषित करेगा। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्रांतर्गत महाविद्यालयों से प्राप्त नामों की संकायवार सूची तैयार करेंगे और गुणानुक्रम के आधार पर बीस विद्यार्थियों (10 स्नातक स्तर, 10 स्नातकोत्तर स्तर) का चयन करके सूची आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इस प्रकार सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से 100 विद्यार्थियों के नाम प्राप्त होंगे जो कि कंडिका–7 अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी निर्णायक मंडल को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

6.2.4 प्राचार्यो एवं शिक्षकों हेतु कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय प्रत्येक में पृथक–पृथक नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उच्चतम स्थान तय करने वाले एक–एक प्राचार्य/शिक्षक को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तथा विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति संकाय स्नातक व स्नातकोत्तर सतर पर प्रथम व द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को अलग–अलग पुरस्कार देय होगा।

6.2.5 प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पूर्ण एवं सही–सही प्रविष्टि कर भेजे जाएं। अपूर्ण आवेदन विचार योग्य नहीं माने जाएंगे आवेदन में समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों की अटेस्टेड छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित स्थान पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा।

6.2.6 आवेदन में की गई प्रविष्टियों तथा संलग्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा। इसका उचित रूप से स्त्यापन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा करवाया जाएगा।

6.2.7 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों को पन्द्रह दिन में पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में प्रविष्ट किया जाएगा। प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक–पृथक पंजी (रजिस्टर) संधारित किए जाएंगे।

पंजीयन क.	व्यक्ति का नाम पद	कार्यालय का पता दूरभाष नं.	प्राप्त कागजातों के कुल पुष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6.2.8 प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि उपरांत, स्क्रीनिंग समिति निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत व्यक्तियों का चयन कर निर्धारित तिथि तक अपनी अनुशंसाएं निर्णायक मण्डल को भेजेगी।

6.2.9 निर्णायक मण्डल अनुशंसाएं प्राप्त होने के पुरस्कार योग्य व्यक्तियों का चयन कर सूची आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजेगा।

6.3.1 प्राचार्यों एवं शिक्षकों को पुरस्कार हेतु मूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र ऑन लाइन उपलब्ध रहेंगे और उन्हें ऑन लाइन ही भरना होगा।

6.3.2 पुरस्कार की राशि प्राचार्य हेतु रूपए 1.00 लाख व प्रशस्ति पत्र, शिक्षक हेतु रूपए 75 हजार व प्रशस्ति पत्र तथा विद्यार्थियों हेतु रूपए 50 हजार/30 हजार (प्रथम व द्वितीय) व प्रशस्ति पत्र होगी।

6.3.3 कई बिन्दुओं के बारे में अंको का स्पष्ट उल्लेख किया गया है किन्तु कई बिन्दुओं के बारे में ऐसा नहीं है। इनमें मूल्यांकनकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह विवेक का सही प्रयोग परिस्थितियों को देखते हुए करे।

7.1 स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति– स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति निम्नानुसार होगी–

7.1.1 आयुक्त उच्च शिक्षा – अध्यक्ष

7.1.2 आयुक्त द्वारा नामांकित एक अतिरिक्त संचालक – सदस्य

7.1.3 आयुक्त द्वारा नामांकित एक क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक – सदस्य

7.1.4 राज्य शासन द्वारा नामांकित अधिकारी – सदस्य

7.2 राज्य शासन आवश्यकतानुसार अन्य सदस्य भी शामिल कर सकेगा।

8 निर्णायक मण्डल– निर्णायक मंडल का गठन का औपचारिक आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया जाएगा निर्णायक मण्डल में तीन सदस्य होंगे–

(1) उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन – अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा – सदस्य

(3) महामहिम राज्यपाल के सचिव – सदस्य

कोरम के लिए कम से कम दो सदस्यों की सहभागिता होगी।

8.1 निर्णायक मण्डल के द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा ।

8.2 पुरस्कार चयन के संबंध में आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

8.3 सामान्यतः प्रत्येक पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मण्डल यदि आवश्यक समझेगा तो एक पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों का चयन कर सकेगा तथा उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।

8.4 निर्णायक मण्डल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी।

9. पुरस्कार की घोषणा– निर्णायक मण्डल द्वारा जिन प्राचार्यो, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा, उनके नामों की घोषणा आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा की जाएगी जिसकी सूचना उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ–साथ व्यक्तिगत पते पर भी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

10. अलंकरण समारोह–

10.1 यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

10.2 पुरस्कार के अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें शासन के नियमानुसार रेल/सड़क मार्ग का यात्रा भत्ता की पात्रता रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिए एक सहायक साथ में ला सकेंगे। उन्हें भी यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

11. व्यय की सम्पूर्ति– स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा विभाग को आबंटित बजट से की जाएगी।

12. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन– राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जाएगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को निहित होंगे।

13. अन्य दायित्वों का निर्वहन– प्रतिवर्ष प्राप्त आवेदन एवं चयनित व्यक्तियों का रिकार्ड (प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी) अलग–अलग फोल्डर बनाकर एवं कंप्यूटर पर उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेन्द्रसिंह रघुवंशी, उपसचिव.

अनुलग्नक–'अ' (प्राचार्यों के लिए)

भाग–1

1.1 नाम

1.2 प्रभारी अथवा नियमित प्राचार्य

1.3 महाविद्यालय का नाम जहां कार्यरत हैं–

1.4 यदि वर्तमान सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में एक से अधिक स्थानों में पदस्थ रहे हों तो निम्नानुसार विवरण–

क.	दिनांक से	दिनांक तक	पदस्थापना का स्थान

1.5 महाविद्यालय की श्रेणी

1.6 नियमित शिक्षकों की कुल संख्या

1.7 क्या यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) एवं 12 (बी) में पंजीयत है, यदि हां तो पंजीयन दिनांक एवं वैधता की अवधि

1.8 क्या महाविद्यालय नेक द्वारा मूल्यांकित है? यदि हां तो मूल्यांकन की तारीख/वर्ष एवं वैधता की अवधि

1.9 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में जनभागीदारी निधि में एकत्र की गई राशि का विवरण (02 अंक)

क.	किन–किन स्रोतों से राशि एकत्र की	कुल एकत्रित राशि	महत्वपूर्ण विकास कार्य

1.10 यू.जी.सी. अनुदान राशि से वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में कराए गए विकास कार्यों का विवरण (02 अंक)

क.	शीर्ष जिसमें यू.जी.सी. से अनुदान मिला	यू.जी.सी. से प्राप्त कुल राशि	महत्वपूर्ण विकास कार्य

1.11 महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम का विवरण (65 अंक)

क.	संकाय	स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत (35 अंक)*	स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत (30अंक)**

*(75% से अधिक 35 अंक, 60 से 74% पर 30 अंक, 50 से 59% पर 20 अंक, 50% से कम शून्य)

**(75% से अधिक 30 अंक, 60 से 74% पर 25 अंक, 50 से 59% पर 15 अंक, 50% से कम शून्य)

1.12 महाविद्यालय में आयोजित सेमीनार/वर्कशाप (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (01 अंक)

1.13 उन शिक्षकों की संख्या जिन्होंने वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में राष्ट्रीय सेमीनार में शोध पत्र प्रस्तुत किए (01 अंक)

1.14 उन शिक्षकों की संख्या जिन्होंने वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में पूर्ण पेपर प्रस्तुत किए (01 अंक)

1.15 उन शिक्षकों की संख्या जिन्होंने वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में दूसरी संस्थाओं में व्याख्यान दिए (01 अंक)

1.16 दो उल्लेखनीय नवाचारों से संबंधित गतिविधियां जो वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में महाविद्यालय में आयोजित की गई हों (05 अंक)

क.	गतिविधि का नाम	एसोसिएशन अथवा स्पॉन्सरशिप	दिनांक

1.17 दो उल्लेखनीय अतिरिक्त जिम्मेदारियों का विवरण जिनका निर्वहन वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में (निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त) किया गया हो (05 अंक)

क.	जिम्मेदारी का विवरण	किस हैसियत से कार्य किया

1.18 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य लिए गए अवकाशों का विवरण (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून)

क.	अवकाश का प्रकार	अवधि	अवकश का कारण (एक पंक्ति में)

1.19 यदि वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में किसी अन्य ड्यूटी के लिए महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्य किया हो तो उसका विवरण

क.	अवधि दिनांक.................... से दिनांक........................... तक	कार्य/ड्यूटी जिसके लिए कार्यमुक्त हुए	जिसके आदेश से कार्य किया उस प्राधिकारी का नाम

भाग–2 (12 अंक)

सत्र में किए गए अकादमिक कार्यों का विवरण (प्राचार्य रहते हुए)

2.1 प्रति सप्ताह ली गई कक्षाओं की संख्या का औसत (अर्थात् कुल ली गई कक्षाएं/अकादमिक सत्र के कुल सप्ताह) (03 अंक)

2.2 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में प्रकाशित हुए शोध पत्रों की संख्या (केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में) (03 अंक)

2.3 लिखी गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (03 अंक)

2.4 लिखी गई संदर्भ पुस्तकों की संख्या (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (03 अंक)

भाग—3 (05 अंक)

शिक्षकों एवं जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन

क.	पेरामीटर्स	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट
3.1	प्रशासनिक क्षमता				
3.2	शिक्षकों की समस्याएं हल करनें में रुचि एवं क्षमता				
3.3	विद्यार्थियों की समस्याएं हल करनें में रुचि एवं क्षमता				
3.4	महाविद्यालय के विकास के लिए गए प्रयास				
3.5	शिक्षकों, विद्यार्थियों,, पालकों एवं कर्मचारियों के साथ व्यवहार				
3.6	ऐसे दो उल्लेखनीय कार्य जो प्राचार्य को उत्कृष्ट श्रेणी में रखने का आधार हो	1. (एक पंक्ति में)			
		2. (एक पंक्ति में)			

अनुलग्नक 'ब' (शिक्षकों के लिए)

भाग—1

1.1 नाम

1.2 पदनाम

1.3 महाविद्यालय का नाम

1.4 महाविद्यालय की श्रेणी

1.5 यदि वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में एक अधिक स्थानों में पदस्थ रहे हों तो उसका विवरण

क्र.	दिनांक से	दिनांक तक	धारित पद	पदस्थापना का स्थान

1.6 वास्तविक शैक्षणिक कार्यभार

क्र.	कक्षा	प्रति सप्ताह सैद्धांतिक कक्षाएं	प्रति सप्ताह प्रायोगिक कक्षाएं	पढ़ाए जाने वाले प्रश्न पत्रों के नाम	विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति

1.7 ली गई कक्षाओं के परीक्षा परिणामों का विवरण (65 अंक)

क्र.	पढ़ाए गए विषय के परीक्षा परिणाम का विवरण	प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत (45 अंक)*	विशेष योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, यदि कोई हो (20 अंक)**

*(75% से अधिक 45 अंक, 60 से 74% पर 30 अंक, 50 से 59% पर 20 अंक, 50% से कम शून्य)

**(15% से अधिक 20 अंक, 10 से 14% पर 15 अंक, 7 से 9% पर 10 अंक, 2 से 6% पर 10 अंक, 2% से कम शून्य)

1.8 उपयोग में लाई गई नई शैक्षणिक विधाओं/उपकरणों का विवरण (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (03 अंक)

क्र.	उपयोग में लाई गई विधाओं/उपकरणों के नाम

1.9 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में प्रकाशित शोध पत्रों का विवरण (03 अंक)

क्र.	पेपर का शीर्षक	जर्नल का नाम	जर्नल का क्रमांक	वर्ष	पृष्ठ क्र.

1.10 वर्तमान अकादमिक सत्र में प्रकाशित पुस्तकों के नाम (03 अंक)

क्र.	पुस्तक का शीर्षक	मुख्य लेखक	सहायक लेखक	प्रकाशन का नाम	वर्ष

1.11 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में दी गई अन्य जिम्मेदारियों का विवरण (02 अंक)

क्र.	समिति का नाम जिसमें कार्य किया	किस हैसियत से कार्य किया

1.12 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में महाविद्यालय में शिक्षक के द्वारा आयोजित की गई रिसर्च, वर्कशाप आदि का विवरण (02 अंक)

क्र.	सेमीनार/वर्कशाप आदि का शीर्षक	संयोजक या आयोजन सचिव के रूप में कार्य किया हो, उल्लेख करें	विभाग जिसने आयोजन किया	आयोजन की तिथियां

1.13 वर्तमान अकादमिक सत्र में रिसर्च सेमीनार/वर्कशाप में भाग लेने का विवरण (01 अंक)

क्र.	सेमीनार/वर्कशाप का शीर्षक	भाग लिया अथवा पेपर प्रस्तुत किया	आयोजनकर्ता का नाम	आयोजन की तिथियां	प्रस्तुत किए गए शोध पत्रों का शीर्षक

1.14 विद्यार्थियों के हित/विकास के लिए आयोजित दो उल्लेखनीय गतिविधियों का विवरण (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (02 अंक)

क्र.	गतिविधि का नाम	किस हैसियत से आयोजन किया/भाग लिया	आयोजनकर्ता	तिथियां

1.15 रिसोर्स परसन/विशेषज्ञ के रूप में अन्य संस्थाओं में दिए गए व्याख्यानों का विवरण (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून) (01 अंक)

क्र.	व्याख्यान का शीर्षक	थकस संस्थान द्वारा व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया	तिथियां

1.16 एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रभार का विवरण (02 अंक)

क्र.	धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक

1.17 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में शिक्षक के निर्देशन में विद्यार्थी की उल्लेखनीय उपलब्धियों का विवरण (02 अंक)

क्र.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	उपलब्धियां (एक पंक्ति में)

1.18 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) अन्य दो उल्लेखनीय योगदानों का विवरण (02 अंक)

क्र.	योगदान का विवरण– अधिकतम 100 शब्दों में

1.19 रिसर्च प्रोजेक्ट का विवरण– (जो वर्तमान अकादमिक सत्र में चल रहे हैं) (02 अंक)

क्र.	रिसर्च प्रोजेक्ट	प्रायोजित प्राधिकारी का नाम	स्वीकृति का दिनांक	प्रोजेक्ट पूर्ण करने की तिथि	वर्तमान अकादमिक सत्र प्रगति का विवरण

1.20 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में प्राप्त सम्मान/अवार्ड/मेडल/पुरस्कार का विवरण (02 अंक)

क्र.	सम्मान/अवार्ड/मेडल/पुरस्कार का नाम	क्षेत्र/योगदान जिसके लिए सम्मान/अवार्ड/मेडल/पुरस्कार मिला है	प्राप्त होने की तिथि	किसके द्वारा दिया गया

1.21 शोध पत्रों का विवरण (02 अंक)

क्र.	पंजीयत शोध पत्र	विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने शोध प्रबंध किया	उपाधि कब प्राप्त हुई	उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या

1.22 वर्तमान अकादमिक सत्र (01 जुलाई से 30 जून) में लिए गए अवकाश का विवरण (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर)

क्र.	अवकाश का प्रकार	अवधि	कारण

1.23 यदि महाविद्यालय कार्य के अतिरिक्त अन्यू किसी कार्य/ड्यूटी के लिए महाविद्यालय से कार्यमुक्त किया गया हो तो उसका विवरण

क्र.	अवधि दिनांक.......... से दिनांक.................... तक	किस कार्य/ड्यूटी के लिए कार्य मुक्त किया गया	आदेश करने वाले प्राधिकारी का नाम

भाग–2 (03 अंक)

विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन

क्र.	पेरामीटर्स	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट
2.1	पढ़ाने की विधि				
2.2	समझाने की विधि				
2.3	अद्यतन संदर्भ पुस्तकों/शोध पत्रों का संदर्भ देने में रूचि				
2.4	शिक्षण हेतु नई विधाओं का प्रयोग				
2.5	शिक्षण हेतु की गई तैयारी				
2.6	विद्यार्थियों के साथ व्यवहार				
2.7	विषय का ज्ञान				

भाग–3 (03 अंक)

प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन

क्र.	पेरामीटर्स	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट
3.1	शिक्षण कार्य				
3.2	शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य दायित्वों का निर्वहन				
3.3	अनुशासन, निष्ठा एवं व्यवहार				
3.4	ऐसे दो उल्लेखनीय कार्य जो शिक्षक को उत्कृष्ट श्रेणी में रखने का आधार हो	1. (एक पंक्ति में) 2. (एक पंक्ति में)			

अनुलग्नक – स (विद्यार्थियों के लिए)

1.1 विद्यार्थी का नाम

1.2 विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक

1.3 महाविद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत हैं

1.4 नियमित प्रवेश का दिनांक
(स्नातक स्तर पर पांचवे सेमेस्टर में)
(स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय सेमेस्टर में)

1.5 अंतिम अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत (75 अंक)
(90 से 100% अंक पर 75 अंकभार, 80 से 89% पर 60 अंकभार, 70 से 79% पर 50 अंकभार, 60 से 69% पर 45 अंकभार, 50 से 59% पर 40 अंकभार व इससे नीचे पर शून्य अंकभार)

1.6 पूर्व के सेमेटर्स में औसत उपस्थिति का प्रतिशत (05 अंक)
(76 से 100% पर 5 अंक, 61 से 75% पर 4 अंक, 50 से 60% पर 3 अंक, 50% से कम शून्य)

1.7 सांस्कृतिक/खेल/अन्य गतिविधियों में वर्तमान सत्र में प्राप्त मेडल/सम्मान/पुरस्कार का विवरण (05 अंक)

क्र.	विवरण	प्रतियोगिता का स्तर जिला/संभाग/राज्य/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	प्रतियोगिता के दिनांक

1.8 एनएसएस/एनसीसी गतिविधियों का विवरण (वर्तमान अकादमिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून)–

1.8.1 एनएसएस/एनसीसी गतिविधियों में कुल उपस्थिति (03 अंक)
1.8.2 प्राप्त प्रमाण पत्र बी/सी (03 अंक)
1.8.3 क्या आरडीसी परेड में भाग लिया (03 अंक)
1.8.4 राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता/पुरस्कार (03अंक)
1.8.5 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता/पुरस्कार (03 अंक)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.